RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

सुशासन अवधारणा : इस दिशा में समेकित, समन्वित, समावेशी प्रयास

डॉ. मीनाक्षी विजय

व्याख्याता लोक प्रशासन एस.एस.जैन सुबोध कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस सीतापुरा, जयपुर (राज.)

सुशासन एक गतिशील अवधारणा है और इसमें एकरूपता का अभाव है यह जरूरी नहीं है कि सुशासन की जो कल्पना हमारी हो वही दूसरे की भी हो। इसी तरह सारे अभिकरण दूसरे देश या राज्य के लिए उसी रूप में उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ उसकी मूल कल्पना शत–प्रतिशत लोकहित को समर्पित और लोगों के साथ अपनत्व के भाव पैदा करने वाली जो भी राज्य व्यवस्था होगी वह सुशासन की श्रेणी में आएगी।

सामान्यतः यह अंग्रेजी के गुड–गवर्नेन्स शब्द के हिन्दी रूपान्तर के रूप में प्रयुक्त होता हैं सुशासन की ज्यादातर अवधारणाएँ और विचार विश्व के पश्चिमी विकसित देशों को आदर्श बनाकर पेश करती है उनका राजनीतिक ढाँचा, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उनका व्यवहार, उनके मानवाधिकार उनकी न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य ढाँचे आदि सुशासन के आदर्श है। जिनका अनुकरण करके हमें भी अपने देश या राज्य को उसी तरह बनाना है। ऐसा करने में हम जितना सफल होंगे, सुशासन के मापदण्ड भी उतने ही सफल माने जाऐंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुशासन की कल्पना दी है। यानी–लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, बच्चों, महिलाओं व वृद्धों की सुरक्षा, मानवाधिकार, श्रम के नियम , व्यापार के नियम, न्याय प्रणाली इत्यादि सारे मॉडल पूरी दुनिया के लिए सर्वस्वीकृत है और अधिकतर देश इनका अनुसरण कर रहे है।

सुशासन की अवधारणा केवल सरकार तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना के जटिल सम्बन्धों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया, क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व, सहभागी विकास पारदर्शिता के अन्तसम्बन्धों के रूप में देखा जाना चाहिए।

सुशासन के लिए जिन मूल्यों की अवश्यकता होती है। उनमें मिलजुलकर निर्णय लेना, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, राजनीतिक प्रणाली में दक्ष और उत्तरदायित्व संरचना, कानून का शासन और निष्पक्ष समानता शामिल है। एक ऐसा समाज जो सुशासन के आदर्शों को अपनाना चाहता है। उसे इन्हीं मूल्यों पर कार्य करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के विकास में लोगों को उनका उचित अंशलाभ मिल रहा है।

विश्व के सभी नागरिक अपने राष्ट्र, राज्य और इसके अंगों से उच्च गुणवत्ता के प्रदर्शन कर आशा रखते हैं इसके लिए जरूरी है कि नागरिकों को भी खुले रूप से और पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिले। सुशासन का सम्बन्ध जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व, प्रखर नीति निर्माताओं और कार्यकुशल लोक सेवकों से है। सशक्त नागरिक समाज के साथ–साथ स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका सुशासन की पूर्व शर्त है।

भारतीय संदर्भों में आखिरकार सुशासन न्याय की सुरक्षा जिसके साथ कई पहलु आपस में जुड़े है जिनमें जीवन की सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, न्याय की पहुँच और कानून का शासन आदि जाते है।

वही सुशासन का ध्येय जन–हितकारी सेवा उपलब्ध करवाना रहा है। भारत राष्ट्र राज्य स्थितियों से अवगत है। अतः इसके लिए कानून व लोकतंत्र की मजबूती सामाजिक सद्भाव, आतंकी तत्वों की हार, घुसपैठ व नक्सली हिंसा के खिलाफ लोकतंत्र का समर्थन जरूरी है।

एक ओर सुशासन का लक्ष्य लोगों की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना, साथ ही लोग कानून के सही क्रियान्वयन पर अपना विश्वास रखे ये सब सुनिश्चित करना है।

भारत जैसे वृहद लोकतंत्र में कानून के शासन के द्वारा ही नागरिको के जीवन के अधिकार संरक्षित किए जा सकते हैं। कानून के शासन के समक्ष सभी समान है और यह किसी भी शासन प्रणाली की निरंकुशता को नियंत्रित करते हुऐ नागरिकों को स्वाधीनता की गारण्टी देता है।

भारतीय सन्दर्भ में सुशासन ने गरीबी निवारण व रोजगार सृजन की दिशा में कार्यरत लोगों को सशक्त किया है साथ ही संविधान प्रदत्त अवसर की समानता, ताकि सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में सुशासन की महती भूमिका रही है।

आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से सरकारी नौकरियों में SC/ST/OBC को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है साथ ही रोजगार परक व स्वरोजगार कार्यों में सुशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

साथ ही देश में लोक सेवाओं के प्रभावी निष्पादन में न्यायपालिका, मीडिया व नागरिक समाज के बेहतरनी कार्य कर देश में सुशासन के रास्ते को आगे बढाया है। विभिन्न

RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्रशासनिक संगठनों में क्षमता निर्माण, नेतृत्व, निर्णयन व संचार कुशलता में भी सुशासन को गतिशीलता प्रदान की है।

भारत ने सुशासन के रास्ते में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, नेताओं, लोकसेवकों व व्यापारिक घरानों के बीच सांठ–गांठ, लालफीताशाही, लोक नीतियों का अकुशल क्रियान्वयन इत्यादि चुनौतियों का भी सामना किया है।

1. सुशासन–ई–गवर्नेन्स :

नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में एम.सी.ए.–21, ऑनलाईन आयकर रिटर्न, पासपोर्ट सेवा केन्द्र की सेवा , महागांव कलाउंड इत्यादि इलेक्ट्रोनिक सेवाएँ प्रशसन को दुरूस्त करने के लिए प्रारम्भ की। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी उन्नयन के कारण प्रशासन द्वारा नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करन आसान हुआ है।

लेकिन ई–प्रशासन में सफलता प्राप्ति के लिए नागरिकों सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है, ई–प्रशासन प्रक्रिया के लिए निरन्तर सूचना प्रवाह व ग्राहकों को समुचित प्रक्रिया को जानना भी जरूरी हो जाता है। ई–सेवाओं का उपयोग करने वाले अधिकारियों, नागरिकों निवासियों तथा व्यापारियों के विचारों की भी लगातार जानकारी मिलनी चाहिए। ई–प्रशासन अच्छे ढंग से काम करे। इसके लिए निचले लेवल के लोगों की प्रतिक्रिया जरूरी है।

आज ग्रामीण ई–प्रशासन को बढावा देने के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय ई–प्रशासन कार्ययोजना 2003, राज्यव्यापी नेटवर्क एरिया परियोजना, ज्ञानदूत, जागृति ई–सेवा किसान काल सेंटर, रूरल एक्सेस टू सर्विसेज थ्रू इन्टरनेट (रासी), टाटा किसान केन्द्र, लोकमित्र आकाशगंगा, एनलॉग इत्यादि ई सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को सफल बनाया है।

2. सुशासन : पारदर्शिता व दक्षता से संभव :

प्रशासन में दक्षता व पारदर्शिता का समावेश कर जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जाये। कम्प्यूटीकरण को बढ़ावा देकर ई–प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किय जाऐ। सरकार से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल व स्पष्ट बनाया जाऐ। PRI,S संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण व विकेन्द्रीकरण किया जाऐ। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर कमियाँ दूर करना व इनमें ढाँचागत सुधार लाना, सामुदायिक व स्वैच्छिक संगठनों के बीच भागीदारी व परस्पर सहयोग को बढावा देना। धन व संसाधन लगाने पर जोर देने की बजाय लगाऐ गए धन के उपयोग व अंततः उपलब्धियों पर ध्यान देना। निगरानी व मूल्यांकन तंत्र का सुदृढ़ीकरण। नागरिकों की सेवाओं की दृष्टि से नौकरशाही में वांछित सुधार। नियामक एजेन्सियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना व उनकी स्वायत्तता को बढावा दिया जाऐ। पुलिस न्यायपालिका में सुधार कर विधि के शासन को सुनिश्चित करना।

3. सुशासन व सूचना का अधिकार :

एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन व प्रशासन के कार्यों में जवाबदेहिता व पारदर्शिता तय करने का हथियार है। सूचना का अधिकार जिसका प्रावधान संविधान के भाग–3 में 19 (1) ए में प्रदत्त किया गया है। जिसका मूल उद्देश्य यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। सुशासन रख स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण सूचना के अधिकार के बिना अधूरा था। इस सम्बन्ध में 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। जिसकी धारा 4 सूचनाओं के सार्वभौमिकरण पर बल देती है। जिसके अनुसार सभी लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सूचिपत्रित, अनुक्रमबद्ध, कम्प्यूटरीकृत तथा उचित समय के भीतर व संसाधनों की उपलब्धता रहते हुऐ आम नागरिकों द्वारा सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध करवाऐंगे।

अब तक इस अधिनियम ने शासन व प्रशासन के स्तर पर पारदर्शिता तय कर लोकतंत्र की छोटी इकाई पंचायत स्तर पर प्रभावी रहा है। इसके माध्यम से जनता अपने क्षेत्र में किए गऐं कार्यों का लेखा–जोखा मांग कर निरीक्षण कर सकती है स्वीकृत धन का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं यह जाना जा सकता है। यह कानून पिछले 15 वर्षों में जनआकांक्षाओं पर खरा उतरा है।

4. सुशासन और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया

मीडिया में सुशासन के निहितार्थों का वास्तविकता में बदलने की पर्याप्त क्षमता है। सतत् व सफल लोकतंत्र के लिए स्वच्छ व निष्पक्ष चुनावों के साथ–साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएँ तथा आजाद, गतिशील व बहुस्वरूपी मीडिया भी नितान्त आवश्यक है। स्वतंत्र, निष्पक्ष तटस्थ व बहुआयामी मीडिया जनहित में कार्य करते हुऐ पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हुऐ, सहभागिता व कानून के शासन को बढावा देकर तथा सामाजिक असमानता व बुराइयों के खिलाफ समर्थन जुटाकर सुशासन की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जन पहरेदार के रूप में कार्य करते हुऐ मीडिया राजनीतिज्ञों व प्रशासकों द्वारा शक्ति के दुरूपयोग की संभावना को नियंत्रण में रखता है। सरकारी नीतियों को जनहित के दृष्टिकोण से अन्वेषित व विश्लेषित करके पर्याप्त छानबीन द्वारा उजागर करने में अहम भूमिका निभाता है।

इस प्रकार वर्तमान शासन व्यवस्था में ई–गवर्नेस, मीडिया, आर.टी.आई. इत्यादि साधनों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की जा सकती है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

संदर्भ सूची

1. भारत में सुशासन की चुनौतियाँ व नई पहल की जरूरत – वाल्मिकी प्रसाद सिंह
2. समय की जरूरत–ई प्रशासन–समीर कोचर
3. सुशासन व विकास – योगिन्दर के अलध
4. ग्रामीण ई–प्रशासन – अर्पिता शर्मा
5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा व सुशासन – रहीम सिंह
6. सभ्य समाज, सुशासन व नई तकनीके–प्रांजलधर
7. सुशासन व प्रेस – पूनम कुमारी
8. सुशासन व ई–प्रशासन – नितेश कुमार

RRIJM 2015, All Rights Reserved